बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–21062 दिनांक–13.11.2025 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में दायर वाद संख्या–C1522/2023 श्री विजय कुमार श्रीवास्तव बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–07.10.2025 को पारित आदेश की प्रति विभाग को उपलब्ध कराते हुए आदेश के अनुपालन में अपेक्षित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में सुनवाई के क्रम में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–07.10.2025 को पारित आदेश में प्रतिवेदित किया गया है कि "सूचना प्राप्त करने हेतु दायर प्रपत्र 'क' की तिथि 16.10.2019 में कार्यरत लोक सूचना पदाधिकारी श्री अमर कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी सम्प्रति राघोपुर, सुपौल अकारण सूचनाओं को प्रदान नहीं करने के लिए दोषी पाये जाते हैं और उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत 25,000/– रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा धारा–20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है"। उक्त के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3194 दिनांक–21.11.2025 द्वारा श्री अमर कुमार शर्मा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–141/2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सूचनावेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु दायर प्रपत्र 'क' की तिथि 16.10.2019 में श्री शर्मा बिस्फी प्रखंड अन्तर्गत आपूर्ति निरीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं थे, बल्कि उक्त तिथि में बिस्फी प्रखंड अन्तर्गत आपूर्ति निरीक्षक के पद पर श्री दिनेशधारी सिंह (कोटि क्रमांक–36/2024), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमराँव, बक्सर पदस्थापित थे।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री अमर कुमार शर्मा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–141/2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें प्रस्तुत आरोप प्रकरण से मुक्त किया जाता है तथा अकारण सूचनाओं को प्रदान नहीं करने के लिए तत्समय पदस्थापित पदाधिकारी श्री दिनेशधारी सिंह (कोटि क्रमांक–36/2024), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डुमराँव, बक्सर के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया गया है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(रा0सू0आ0)–20/2025 372 खाद्य, पटना/दिनांक–21/01/2026
प्रतिलिपि–अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, पटना/श्री अमर कुमार शर्मा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–141/2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल, मोबाईल सं0–9504604915, E-Mail : animesh14156@gmail.com/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

2020/Sec_8/Office Order.Doc